जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

90/15

A3/1

अपील सूचना अधिकार संख्या 90/2015 अनवानी श्री राधाकृष्ण टेकवाणी, निवासी 13 मुकर्जी नगर, श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.02.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधाकृष्ण टेकवाणी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधाकृष्ण टेकवाणी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 12.06.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

(1) जिला रसद अधिकारी कार्यालय श्रीगंगानगर में कार्यरत (I) सभी प्रवर्तन अधिकारी (II) सभी प्रवर्तन निरीक्षक (III) जिला रसद अधिकारी, प्रत्येक का नाम मय पद मय आवंटित कार्य, कार्य का क्षेत्र की प्रमाणित प्रति देवें।

(2) बिन्दु संख्या 1 के क्रम में प्रत्येक अधिकारी का प्रथम नियुक्ति पत्र की प्रमाणित प्रति, आयकर का स्थायी खाता संख्या (PAN) की प्रमाणित प्रति, प्रत्येक अधिकारी की वार्षिक APPR/ACR की गत 8 वर्षो की प्रमाणित प्रति।

(3) बिन्दु संख्या 1 के क्रम में प्रत्येक अधिकारी की सर्विस बुक/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति देवें।

(4) बिन्दु संख्या 1 के क्रम में प्रत्येक अधिकारी के वेतन के अतिरिक्त आय के श्रोत मय किराया, कृषि से आय, व्यापार से आय, शेयरो से आय की प्रमाणित प्रति देवें।

(5) बिन्दु संख्या 1 से 4 के क्रम में प्रत्येक अधिकारी की समस्त कार्यकाल की चल व अचल सम्पति का विवरण की प्रमाणित प्रति देवें। प्रत्येक सम्पति पर व्यय का श्रोत का विवरण की प्रमाणित प्रति देवें।

(6) क्रम संख्या 1 से 5 के क्रम में प्रत्येक अधिकारी द्वारा एक मुश्त खर्च रकम रूपये 20,000.00(अखरे रूपये हजार के नकद लेन देन एवं खर्च का विवरण की प्रमाणित प्रति देवें।

(7) वर्तमान में प्रचलित पुराने राशन काडों के संबंध में माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा (BAN) रोक संबंधी आदेश की प्रमाणित प्रति मय रोक की अवधि देवें।

(8) बिन्दु क्रमांक 7 के क्रम में 30 जुलाई 2008 से 3 अक्टूबर 2008 तक की अवधि में बनाये गये राशन कार्डो का विवरण मय आवेदन पत्र, कार्डधारक का नाम यूनिट मय पता, राशन कार्ड जारी करता अधिकारी का नाम नाम मय पद, वर्तमान में संबंधित अधिकारी का पदस्थापन का स्थान की प्रमाणित प्रति देवें।

(9) छात्र कोटे के केरोसीन तेल घपले में दर्ज एफआईआर में संलिप्त अधिकारियों के नाम मय पद व अन्य व्यक्ति के नाम की प्रमाणित प्रति देवें।

(10) अपील अधिकारी का पता मय पद देवें।

अपीलार्थी श्री राधाकृष्ण टेकवाणी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 12.06.15 से चाही गई सूचना के संबंध में जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा कोई उत्तर नही दिया गया है और न ही कोई पत्र व्यवहार किया गया है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के अपील पत्र के सन्दर्भ में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपना प्रतिवेदन संख्या 4486 दिनांक 22.07.15 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा वांछित सभी सूचनांए तीसरे पक्ष से संबंधित है इनमें जो सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध थी व दी जानी वाली थी वह सूचना उपलब्ध करवा दी गई है तथा जो उपलब्ध नही करवाई गई उन सबके बारे में पत्रांक 4275 दिनांक 13.07.15 द्वारा अपीलार्थी को निम्न प्रकार से सूचित किया गया है:–

> बिन्दु संख्या 1 की सूचना इस प्रकार है कि जिला रसद कार्यालय श्रीगंगानगर में श्री हरभजनसिंह जिला रसद अधिकारी के पद पर कार्यरत है तथा श्री संदीप गौड़, श्री सत्यप्रकाश, श्री राकेश सोनी प्रवर्तन अधिकारी के पद पर कार्यरत है। श्री सुरेशकुमार प्रवर्तन निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। जिला रसद अधिकारी का कार्यक्षेत्र पूरा जिला है तथा प्रवर्तन स्टाफ के कार्य क्षेत्र आदेश की प्रति पत्र के साथ सलंग्न प्रेषित है।
>
> बिन्दु सं0 2 से 9 में जिस प्रारूप में आप द्वारा सूचना चाही गई है उस रूप में सूचना संधारित नही होने के कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उतर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजना करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। चाही गई सूचना प्रश्नोतर के रूप में नही होनी चाहिये। चूंकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता। सूचनांये एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध करवाया जाना वर्जित है तथा राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2''च'' में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प.22(16)प्रसू./सूअप्र./2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में ''क्यों'' प्रश्न के उत्तर सम्मिलित नही है। रिट पेटीशन सं0 419/2007 डा0 सेल्सा पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नो के उत्तर शामिल नही कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई कई समस्यांयों का समाधाना करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। चाही गई सूचना प्रश्नोतर के रूप में नही होनी चाहिए चूंकि खोजकर खोजे गये तथ्यो के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकारी के तहत नही आता। सूचनांये एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आपका आरटीआई आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 2 से 9 की सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नही है इस संबंध में आपको कोई उज्र हो तो आप 30 दिवस की अवधि में प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के न्यायालय अपील कर सकते है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

90/15 जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

A3/3

अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में उक्तानुसार निश्चित अवधि में ही लोक सूचना अधिकारी द्वारा उत्तर दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए तथा तृतीय पक्ष से संबंधित नही होनी चाहिये और विस्तृत व कार्यालय संसाधनो को प्रभावित करने वाली नही होनी चाहिए तथा लोक सूचना अधिकारी के पास किसी निश्चित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। तथ्यों को खोजकर सूचना तैयार कर उपलब्ध करवाना लोक सूचना अधिकारी का कार्य नही है। **माननीय उच्चतम न्यायालय के खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टान्त Girisn Ramchandra Deshpande Versus Cen. Information Commr. & Ors.** स्पेशल लीव पेटीशन (सिविल) न0 27734/2012 में पारित आदेश दिनांक 03.10.2012 के अनुसार किसी भी राज्य कर्मचारी की चल–अचल सम्पति, सम्पति से आय, उसको जारी शो कॉज नोटिस, सजा, परिनिंदा, सेवाभिलेख आदि से संबंधित सूचनांए व्यक्तिगत होने के कारण व सूचनांओ में कोई लोक हित नही होने से धारा 8(1)(जे) के तहत ऐसी सूचनांए देय नही है। अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से चाही गई सूचनांए भी उक्त श्रेणी की है। अतः बिन्दु सं0 2 से 9 की सूचनांओ के संबंध में जिला रसद अधिकारी द्वारा दिये गये उत्तर में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 17.02.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर